प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2018

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्सपी, वी0टी0-यू0पी0एम0 के अनुरक्षण कार्य हेतु 02 **Fire Extinguisher Bottle, Part No. 33200009 (ALTN Part No. 33200009-3)** को एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय किये जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- **959**/ना0उ0नि0/इंजी/बी-1-2017(पी), दिनांक 15 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-40/2018/572/छप्पन-2018-43/2015 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 तथा आपके पत्र संख्या- 141/ना0उ0नि0/इंजी/बी-1-2017(पी), दिनांक 14 जून, 2018 में किए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2018 द्वारा राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्सपी, वी0टी0-यू0पी0एम0 में लगे 02 **Engine Fire Extinguisher Bottle, Part No. 33200009 (ALTN Part No. 33200009-3) HST** को **M/s Arrow Aviation Services FZE, Sharjah, U.A.E.** से एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय करने हेतु कुल मूल्य यू0एस0 डॉलर 3200.00 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 68/- की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित रूपये 2,17,600/- (रूपये दो लाख सत्रह हजार छ: सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त इंगित पुर्जे के मूल्य में यू0एस0 डालर 994.00 की वृद्धि हुई तथा कोर को वापस भेजने का चार्ज यू0एस0 डालर 400.00 भी **M/s Arrow Aviation Services FZE, Sharjah, U.A.E.** द्वारा लिया गया इस प्रकार इंगित पुर्जे के मूल्य में कुल यू0एस0 डॉलर 1394.00 की वृद्धि हुई, जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 72/-प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रू0 1,00,368/- होता है तथा डॉलर की विनिमय दर में हुई वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि में रू0 12,800/- अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उक्त इंगित पुर्जे के क्रय हेतु कुल रूपए 1,13,168/- (रूपए एक लाख तेरह हजार एक सौ अड़सठ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वायुयान हॉकर 900 एक्सपी, वी0टी0-यू0पी0एम0 में लगे इंगित पुर्जों के लिए कुल रूपए 1,13,168/- (रूपए एक लाख तेरह हजार एक सौ अड़सठ मात्र) अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें- 114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 76/2018/1252(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन टी0सी0-ई0वी-।,विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।